न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 61/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00137)

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

1. दुर्गेश ठाकुर पुत्र सियाराम ठाकुर जाति ठाकुर निवासी नगला बीधोरा तहसील बाडी पुलिस थाना कंचनपुर जिला धौलपुर हाल किरायेदार मकान/ दुकान मालिक गंगासिहं पुत्र राजाराम निवासी मनोहर बिहार कॉलोनीी बाडी रोड धौलपुर ।
2. शाहरुख पुत्र श्री मुन्ना खान जाति मुसलमान निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर————————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –
1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से :– श्री वीरेन्द त्यागी अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 5.3.2019

निर्णय

प्रार्थी जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि पुलिस थाना कोतवाली से दूरभाष पर घरेलू गैस सिलेण्डरो में अवैध रूप से ऑटो (थ्री व्हीलर) में गैस रिफलिंग किये जाने की शिकायत मिलने पर प्रार्थी पुलिस थाना कोतवाली के स्टॉफ द्वारा बताये गये स्थल पर पहुँचा। मौके पर दुष्यंत कुमार कानि0 1110 थाना कोतवाली धौलपुर श्री धवल सिहं कानि0 156 थाना कोतवाली धौलपुर एवं अन्य उपस्थित गवाहों के समक्ष गैस रिफलिंग स्थल की जॉच की गयी । मौके पर गंगासिहं पुत्र राजाराम के मकान मनोहर विहार कॉलोनी 132 के0 बिजली घर के पास बाडी रोड धौलपुर की दुकान के बाहर एक ऑटो बजाज कॉम्पेक्ट पीला हरा रंग का नम्बर आरजे 11 पीए–1778 में घरेलू गैस सिलेण्डर एस. आर. न0 893480–एस से रेग्यूलेटर एवं रबर पाईप से कनेक्ट कर जरिये लोहे के बाल्व बिजली की मोटर द्वारा घरेलू गैस का हस्तांतरण (रिफिलिंग) पाया गया । मौके पर अप्रार्थी सख्या 1 उपस्थित मिला जिसने घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो रिक्शा में गैस रिफिलिंग करना पूछताछ एवं जानकारी पर बताया । मौके पर अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा ली गई किराये की दुकान की जॉच की गयी। दुकान में 10 घरेलू सिलेण्डर क्षमता

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

14.2 कि.ग्रा. भरे एवं खाली पाये गये । इसी कम में दुकान में एक तौल मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा) एक, बैटरी चालित लोहे की मोटर दो, गैस भरने के यंत्र (एक लोहे व एक पीतल) दो, लोहे के छोटे बाल्व रखे मिले। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने बावत कोई लाईसैन्स दस्तावेज, गैस कनेक्शन दस्तावेज के कागजात आदि के बारे में पुछताछ एवं जानकारी की गयी। उक्त व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया। ऑटो के बारे में पुछताछ की गयी तो ऑटो चालक पूछताछ के दौरान उपस्थित हो गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम शाहरूख पुत्र मुन्ना खान जाति मुसलमान निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर होना बताया तथा ऑटो रिक्शा में दुर्गेश से घरेलू गैस भरवाना बताया। साथ ही स्वंय को ऑटो का ड्राईवर बताया एवं आटो मालिक के बारे में कुंछ भी नहीं बताते हुए मौके पर ऑटो सम्बन्धी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। दुर्गेश पुत्र सियराम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से अवैध रूप से गैस की रिफलिंग ऑटो रिक्शा में की जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लघंन किया गया है। उक्त आदेशों के उल्लघंन किये जाने पर प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10, एक बजाज कॉम्पेक्ट ऑटो पीला-हरा रंग नम्बर आर जे 11 पीए-1778 बिजली एवं बेटरी चालित लोहे की मोटर दो, इलैक्ट्रिक तोल कांटा एक गैस हस्तान्तरण का यंत्र लोहे एवं पीतल का दो, रवर पाइप- दो, तथा वाल्व दो को मौके पर जब्त सरकार किया गया । मौके पर जब्त शुदा सामग्री गैस सिलेण्डर की तोल दशरथ सिहं कार्यरत मैसर्स शिवेन गैस एजेन्सी एच. पी. सी. एल. धौलपुर को बुलवाकर करवाया गया जब्त सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर दस मय गैस 65.900 कि.ग्रा0 बिजली एवं बैटरी चालित दो लोहे की मोटर, इलै0 तोल कांटा एक, गैस हस्तान्तरण यंत्र दो, रवर पाईप दो, वाल्व दो अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दशरथ सिहं पुत्र रविन्द्रसिहं ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा हाल कार्यकर्ता मैसर्स शिवेन गैस सर्विस एच. पी. सी. एल. वीर भवन धूलकोट धौलपुर को एवं ऑटो रिक्शा (थ्री व्हीलर) बजाज काम्पेक्ट पीला हरा रंग नम्बर आर. जे. 11 पी ए 1778 को पप्पू शर्मा पुत्र पीतम सिहं ग्राम मिठावली हाल एच. सी. 1278 मालखाना इंचार्ज कोतवाली धौलपुर को सुपर्दगी में दिये गये । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को राज सात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से श्री वीरेन्द्र त्यागी अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी की कोई भी दुकान रिफलिग करने की नहीं है। अप्रार्थी ऑटो से क्षेत्र में हो रही भागवत के भण्डारे के लिये गैस सिलेण्डर भरवाने के लिये धौलपुर आया था जिनको गलत तौर पर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डरों की सख्त आवश्यकता है। इनके बिना उनका जीवन दुषवार हो गया है। उक्त सिलेण्डरों की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सिलेण्डरों को राजसात किया गया तो उपभोक्ताओं के सामने खाने का संकट पैदा हो जायेगा। उक्त सिलेण्डरों को साजिशन जब्त कर राजसात

नेहा गिरि
ज़िला कलक्टर धौलपुर

कराने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है जिसमें दोषसिद्ध की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को वापिस किया जावे ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका दिनांक 12.10.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फर्द अधिग्रहण की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि सुपुर्दगीनामा माल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि सुपुर्दगीनामा ऑटो नम्बर आर जे 11 पी ए 1778 पेश की ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डरो में अवैध रूप से ऑटो (थ्री व्हीलर) में गैस रिफलिंग किये जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस थाना कोतवाली के स्टॉफ द्वारा बताये गये स्थल पर पहुँचा । मौके पर दुष्यंत कुमार कानि0 1110 थाना कोतवाली धौलपुर धवल सिहं कानि0 156 थाना कोतवाली धौलपुर एवं अन्य उपस्थित गवाहों के समक्ष गैस रिफलिंग स्थल की जॉच की गयी । दुकान के बाहर एक ऑटो बजाज कॉम्पेक्ट पीला हरा रंग का नम्बर आरजे 11 पीए–1778 में घरेलू गैस सिलेण्डर एस. आर. न0 893480–एस से रेग्यूलेटर एवं रबर पाईप से कनेक्ट कर जरिये लोहे के बाल्व बिजली की मोटर द्वारा घरेलू गैस का हस्तांतरण (रिफिलिंग) हो रहा था। मौके पर अप्रार्थी मिला जिसने घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो रिक्शा में गैस रिफिलिंग करना पूछताछ एवं जानकारी पर बताया । मौके पर अप्रार्थी द्वारा ली गई किराये की दुकान की जॉच की गयी। दुकान में 10 घरेलू सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा. भरे एवं खाली पाये गये । इसी क्रम में दुकान में एक तौल मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा) बैटरी चालित लोहे की मोटर दो, गैस भरने के यंत्र (एक लोहे व एक पीतल) दो, लोहे के छोटे बाल्व रखे मिले। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने बावत कोई लाईसैन्स दस्तावेज, गैस कनेक्शन दस्तावेज के कागजात आदि के बारे में पूछताछ एवं जानकारी की गयी। अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑटो चालक ने अपना नाम शाहरुख पुत्र मुन्ना खान जाति मुसलमान निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर होना बताया तथा ऑटो रिक्शा में अप्रार्थी नम्बर 1 से घरेलू गैस भरवाना बताया। साथ ही स्वंय को ऑटो का ड्राईवर बताया एवं आटो मालिक के बारे में कुंछ भी नहीं बताते हुए मौके पर ऑटो सम्बन्धी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से अवैध रूप से गैस की रिफलिंग ऑटो रिक्शा में की जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लघंन किया गया है। उक्त आदेशों के उल्लघंन किये जाने पर प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10, एक बजाज कॉम्पेक्ट ऑटो पीला–हरा रंग नम्बर आर जे 11 पीए–1778 बिजली एवं बेटरी चालित लोहे की मोटर दो, इलैक्ट्रिक तोल कांटा एक, गैस हस्तान्तरण का यंत्र लोहे एवं पीतल का दो, रवर पाइप– दो, तथा वाल्व दो को मौके पर जब्त किये । जब्त सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर दस मय गैस 65.900 कि.ग्रा0 है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन करना पाया

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को राज सात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की कोई भी दुकान रिफलिग करने की नहीं है। अप्रार्थी ऑटो से क्षेत्र में हो रही भागवत के भण्डारे के लिये गैस सिलेण्डर भरवाने के लिये धौलपुर आया था जिनको गलत तौर पर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डरों की सख्त आवश्यकता है। इनके बिना उनका जीवन दुषवार हो गया है। उक्त सिलेण्डरों की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सिलेण्डरों को राजसात किया गया तो उपभोक्ताओं के सामने खाने का संकट पैदा हो जायेगा। उक्त सिलेण्डरों को साजिशन जब्त कर राजसात कराने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है जिसमें दोषसिद्ध की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को वापिस किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो एवं छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10, बिजली एवं बेटरी चालित लोहे की मोटर दो, इलैक्ट्रिक तोल कांटा एक गैस हस्तान्तरण का यंत्र लोहे एवं पीतल के दो, रवर पाइप– दो, तथा वाल्व दो को मौके पर जब्त कर सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी बिना लाईसैंस अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों व ऑटो में गैस भरने का कृत्य करता है । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अप्रार्थी की कोई भी दुकान रिफिलिंग की नहीं है। क्योकि फर्द मौका में अप्रार्थी ने स्वंय इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह रिफिलिंग का कार्य करता है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अप्रार्थी ऑटो से क्षेत्र में हो रही भागवत के भडारे के लिये गैस सिलेण्डर भरवाने के लिए धौलपुर आया था सिद्ध नहीं होता इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डर की सख्त आवश्यकता है उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उन्होनें अपने समर्थन में न तो यह अवगत कराया है कि जब्त सिलेण्डर किस उपभोक्ता के है ना ही कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने वहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण जुडीशियल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें जब्त माल की बतौर सबूत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि उन्हें जुडीशियल न्यायालय में जब्त शुदा माल की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है। अप्रार्थी बिना लाईसैन्स एवं सुरक्षा मे दुकान में अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखता है। दुकान में यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना हुई तो दुकान के आस पास के दुकानदारों /मकान मालिकों को जन एवं धन हानि होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं । अप्रार्थी संख्या 1 को कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10, (65.900 कि.ग्रा. गैस) बिजली एवं बेटरी चालित लोहे की मोटर दो, इलैक्ट्रिक तोल कांटा एक, गैस हस्तान्तरण का यंत्र लोहे का एक एवं पीतल का एक, रवर पाइप– दो, तथा वाल्व दो को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना कोतवाली धौलपुर व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना कोतवाली धौलपुर व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/19

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर